



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: उ.कु./गोप. प्रथम/2025/

दिनांक:

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय: स्नातक/व्यावसायिक सेमेस्टर-प्रथम के नियमित विद्यार्थियों के माह दिसम्बर, 2025 के सतत् मूल्यांकन अंक (Mid Term Examination Marks/Continuous Assessment Marks) ऑनलाइन अपलोड करने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं पत्र क्रमांक उ.कु./गोप. प्रथम/2025/250 दिनांक 02.12.2025 की निरन्तरता में आपको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा जारी पाठ्यक्रम एवं दिशा-निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर स्नातक/व्यावसायिक सेमेस्टर-प्रथम के नियमित छात्रों के माह दिसम्बर, 2025 की सतत् मूल्यांकन अंक (Mid Term Examination Marks/Continuous Assessment Marks) की संपूर्ण प्रक्रिया (मूल्यांकन हेतु उपयोग में ली जाने वाली उत्तर-पुस्तिका/ प्रश्न-पत्र/प्रोजेक्ट रिपोर्ट इत्यादि) महाविद्यालय/विभाग स्वयं अपने स्तर पर सम्पन्न कर अंक विश्वविद्यालय परीक्षा पोर्टल www.univraj.org पर College Pannel के माध्यम से दिनांक 09.12.2025 तक अपलोड किया जाना अनिवार्य है। महाविद्यालय/विभाग द्वारा अंक अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित परीक्षार्थी सैद्धान्तिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएगा।

सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग अंतिम तिथि का इंतजार ना करते हुए निर्धारित समयावधि में सावधानी पूर्वक ऑनलाइन अंकों को अपलोड करें। ऑनलाइन अंक अपलोड करते समय किसी भी प्रकार की समस्या होने पर ई-मेल आई.डी. drsecyuorj@gmail.com पर पत्र प्रेषित कर सूचित करें। विश्वविद्यालय के पत्राचार करते समय महाविद्यालय/विभाग का कोड़ व मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें। साथ ही आन्तरिक परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के उपस्थिति पत्रक, अंकसूची तथा उत्तर-पुस्तिकाओं को महाविद्यालय स्तर पर 07 वर्ष तक सुरक्षित रखी जावे, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर मंगवाई जा सकती है।

नोट: नियमित छात्रों को पाठ्यक्रम के सेमेस्टर के अन्त में परीक्षा (EoSE) की पात्रता हासिल करने के लिए विद्यार्थी को सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम सी-ग्रेड (C-GRADE) (40 प्रतिशत) अंक तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अर्जित करना आवश्यक होगा। यदि विद्यार्थी सतत् मूल्यांकन में 40% से कम अथवा अनुपस्थित रहता है तो उसे उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

क्रमांक: उ.कु./गोप. प्रथम/2025/2253-2261

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रो. जी.पी. सिंह, निदेशक (अकादमिक), रा.वि.वि., जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने का श्रम करावे।
3. जन संपर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
4. अतिरिक्त कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/नामांकन/शैक्षणिक-प्रथम), रा.वि.वि., जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरु/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
7. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है उक्त सूचना को परीक्षा पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करें।

परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 6-12-2025

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा गोपनीय)